DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, CHHATTISGARH
संचालनालय तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़
Government Girl's Polytechnic Campus, Byron Bazaar, Raipur - 492001
शासकीय कन्या पॉलीटेकनिक परिसर, बैरन बाजार, रायपुर - 492001
Phone : 0771- 2331330, 2421376, Fax : 2331331, Website : http://www.cgdteraipur.ac.in

सत्र 2011–12 में विभिन्न निजी इंजीनियरिग महाविद्यालयों में संचालित बी.ई. पाठ्यक्रमों के अन्य राज्य कोटा (10%) में AIEEE–2011 के मेरिट के आधार पर प्रवेश हेतु ऑन लाइन काउंसिलिंग की **द्वितीय चरण (AIEEE II-Phase)** की सूचना (केवल अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिये)

प्रदेश में स्थित AICTE अनुमोदित स्वशासी–स्ववित्तीय (Autonomous & Self Finnancing) इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं निजी (Private) इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में संचालित बी.ई. पाठ्यक्रमों के लिये निर्धारित अन्य राज्य कोटा (Other State Quota - 10%) में सत्र 2011–12 में AIEEE–2011 के मेरिट के आधार पर प्रथम चरण में प्रवेश के लिये संस्थाओं/ब्रांचों का आबंटन (Allotment) दिनांक 16 जुलाई 2011 को किया गया था। प्रथम चरण के लिए प्रवेश हेतु समय 18 जुलाई 2011 से 23 जुलाई 2011 तक दिया गया है।

छ0ग0 शासन द्वारा AICTE के दिशा निर्देश के अनुरूप सत्र 2011–12 में B.E. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 12वीं के PCM में पूर्व निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्तांक को शिथिल करते हुए 50% को घटाकर 45% करने के कारण/प्रथम चरण में आबंटन नहीं होने के कारण रिक्त रह गई सीटों/प्रवेश की अंतिम तिथि 23 जुलाई, 2011 तक प्रवेश नहीं लेने के कारण रिक्त होने वाली सीटों पर प्रवेश हेतु AIEEE–2011 के मेरिट के आधार पर ऑन लाइन काउंसिलिंग की द्वितीय चरण निम्नानुसार होगा। प्रवेश/आबंटन हेतु अभ्यर्थी का अन्य राज्य का मूलनिवासी होना अनिवार्य है । छ.ग. के मूल निवासी छात्र AIEEE – 2011 के मेरिट के आधार पर अन्य राज्य कोटा में प्रवेश हेतु विचारणीय नहीं है ।

द्वितीय चरण AIEEE–2011 ऑन लाईन काउंसिलिंग कार्यक्रम

स.क्र.	विवरण	दिनांक से	दिनांक तक
1	Website: www.mkcl.biz/aieee2011 में ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन करना एवं ऑप्शन फार्म भरना (Online Registration & Option Filling)	22 जुलाई 2011 सुबह 8.00 बजे	24 जुलाई 2011 शाम 04.00 बजे
2	दस्तावेज परीक्षण केन्द्र (Document Verification Centre) में दस्तावेजों का परीक्षण	22 जुलाई 2011 पूर्वान्ह 11:00 बजे से	24 जुलाई 2011 शाम 5.30 बजे
3	सीट आबंटन की सूची जारी करना (Provisional Allotment)	24 जुलाई 2011 (समय रात्रि 8:00 बजे)	
4	आबंटित संस्था में प्रवेश लेने का कार्य	25 जुलाई 2011 पूर्वान्ह 11:00 बजे से	27 जुलाई 2011 शाम 5.30 बजे

प्रवेश हेतु योग्यता :

1. दिनांक 01.07.2011 को आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये ।
2. मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिक एवं गणित विषयों के साथ रसायन विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/जीवविज्ञान में से किसी एक विषय में 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 12 वीं में फिजिक्स, केमेस्ट्री एवं गणित में पृथक–पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा इन तीनों विषयों (मिलाकर) का प्राप्तांक न्यूनतम 45 प्रतिशत होना अनिवार्य है। इसी प्रकार AIEEE- 2011 में न्यूनतम 10 प्रतिशत प्राप्तांक होना अनिवार्य है।
3. 44.5 एवं अधिक को 45 तथा 9.5 एवं अधिक को 10 प्रतिशत मान्य किया जाएगा।
4. संबंधित अन्य राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है ।प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है।

टीप :—छत्तीसगढ़ के निवासी छात्रों को अन्य राज्य कोटा में प्रवेश की पात्रता नहीं है । अतः छ.ग. के मूल निवासी छात्र AIEEE- 2011 के आधार पर ऑन लाईन आवेदन/पंजीयन न करें । छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के प्रवेश सी.जी. कोटा (75 प्रतिशत) में पी.ई.टी.—2011 की मेरिट के आधार पर ऑन लाईन होंगे । यदि अन्य राज्य कोटा, अन्य राज्य के छात्रों से नहीं भरता है तो उसे छत्तीसगढ़ राज्य कोटा में विलय कर दिया जायेगा । AIEEE- 2011के आधार पर तृतीय चरण की काउंसिलिंग नहीं की जायेगी।

2. काउंसिलिंग हेतु निर्धारित फीस — सभी अभ्यर्थियों को ऑन लाईन काउंसिलिंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिये निर्धारित काउंसिलिंग शुल्क रु. 500/— (रु. पॉच सौ केवल) की राशि जमा करना अनिवार्य है । यह राशि चालान के रूप में भारतीय स्टेट बैंक के देश भर में स्थित किसी भी शाखा में ''संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़'' के नाम से संचालित खाता क्रमांक — 31073343567 में जमा करना है । फीस चालान के अतिरिक्त और किसी अन्य रूप में जैसे :— डी.डी., चेक, नगद के रूप में फीस स्वीकार्य नहीं है । ऑनलाईन काउंसिलिंग फार्म भरने से पूर्व रु. 500/— का चालान जमा कर लें ।एक बार जमा की गई काउंसिलिंग फीस किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नहीं है । चालान का प्रारूप वेबसाइट www.cgdteraipur.ac.in अथवा www.mkcl.biz/aieee2011 से भी डाउन लोड कर उपयोग किया जा सकता है। चालान फार्म में Registration ID/Ref. No. के सामने AIEEE- 2011 का रोल नंबर लिखें । इसकी तीन प्रति में से एक प्रति बैंक में जमा होगी, DTE की कॉपी दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जमा किया जाना है एवं Candidate Copy को अभ्यर्थी को अपने पास सुरक्षित रखना है।

3. **द्वितीय चरण की काउंसिलिंग —**

प्रथम चरण के पश्चात् रिक्त रह गई सीटों एवं द्वितीय चरण के रजिस्ट्रेशन के दौरान पूर्व प्रवेशित छात्रों के सीट छोड़ने के कारण रिक्त होने वाली सीटों के आबंटन के लिये द्वितीय चरण में पुनः वैसे ही प्रक्रिया अपनायी जायेगी, जो प्रथम चरण में थी ।

इसमें चार प्रकार के अभ्यर्थी हो सकते हैं :—

1. ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण मे आबंटन के पश्चात् संस्था में प्रवेश ले चुके हैं :— ऐसे अभ्यर्थी यदि अपनी पूर्व आबंटित संस्था बदलना चाहते हैं तो उन्हें भी इस चरण में Login करना होगा । परंतु उनकी पूर्व आबंटित सीट स्वमेव निरस्त हो जायेगी एवं यह आवश्यक नहीं है कि उसे उच्च प्राथमिकता अथवा वही सीट पुनः मिले। ऐसे अभ्यर्थी सोच समझकर Login करें । इन्हें पुनः रु. 500/— काउंसिलिंग फीस का चालान जमा करना अनिवार्य है । ये अभ्यर्थी Click here to Login, Menu में जाकर अपना ID एवं Password इंटर करें एवं शेष प्रक्रिया पूर्वानुसार ही पूरी करें।
2. ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में आबंटन प्राप्त किये थे परंतु संस्था में प्रवेश नहीं लिये :— ऐसे अभ्यर्थी की पूर्व आबंटित सीट निरस्त मानी जायेगी एवं ये पुनः द्वितीय चरण में रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे । इन्हें भी पुनः रु. 500/— काउंसिलिंग फीस का चालान जमा करना अनिवार्य है । ये अभ्यर्थी Click here to Login, Menu में जाकर अपना ID एवं Password इंटर करें एवं शेष प्रक्रिया पूर्वानुसार ही पूरी करें।
3. अ) ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन कराये थे परंतु आबंटन नहीं हुआ था :— ऐसे अभ्यर्थी यदि अपना विकल्प बदलते हैं तो उन्हें पुनः रु. 500/— काउंसिलिंग फीस का चालान जमा करना होगा। ये अभ्यर्थी Click here to Login Menu में जाकर अपना ID एवं Password इंटर करें एवं शेष प्रक्रिया पूर्वानुसार ही पूरी करें।

   ब) ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन कराये थे परंतु आबंटन नहीं हुआ था :— ऐसे अभ्यर्थी यदि विकल्प नहीं बदलते हैं तो उन्हें रु. 500/— का चालान जमा करने की आवश्यकता नहीं है । वे स्वमेव ही मेरिट के आधार पर काउंसिलिंग प्रक्रिया में शामिल होंगे । इन्हें Login करने की आवश्यकता नहीं है।
4. ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाये थे :— ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय चरण में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं । इसके लिये इन्हें रु. 500/— काउंसिलिंग फीस का चालान जमा करना होगा । पूरी प्रक्रिया वैसे ही होगी जो प्रथम चरण में थी।ये अभ्यर्थी New Registration में जाकर अपना प्रक्रिया पूर्ण करें इस हेतु प्रथम चरण का विज्ञापन का अवलोकन कर लेंवे।

टीप : अ.) उपरोक्त सभी प्रकार के अभ्यर्थियों (बिन्दु क्रं 3(ब) को छोड़कर) को निर्धारित तिथि में दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में उपस्थिति होना अनिवार्य हैं। जो अभ्यर्थी दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में उपस्थित नहीं होंगे उनकी आनलाईन काउंसिलिंग की प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जावेगी। तथा आबंटन हेतु विचार नहीं किया जायेगा।

ब.) जो छात्र प्रथम चरण में किसी संस्था में प्रवेश ले चुके हैं एवं द्वितीय चरण में उन्हें अन्य संस्था आबंटित होती है । ऐसे छात्रों से उनके द्वारा जमा की गई कुल फीस में से रु. 1000/– की कटौती संस्था द्वारा करने के पश्चात् शेष समस्त राशि संस्था द्वारा छात्र को वापस की जानी है । इसके अतिरिक्त और कोई कटौती नहीं की जानी है ।

स) कोई छात्र जो उसी संस्था में द्वितीय चरण के दौरान में ब्रांच परिवर्तन करना चाहते हैं, उन्हें भी ऑनलाईन Login करनी होगी । संस्था स्तर पर ब्रांच परिवर्तन नहीं होगा ।

5. द्वितीय चरण का सीट आबंटन :– द्वितीय चरण में विकल्प बदलने वाले अभ्यर्थियों, नये अभ्यर्थियों एवं प्रथम चरण में आबंटन से वंचित अभ्यर्थियों के मेरिट के आधार पर रिक्त सीटों पर आबंटन सूची निर्धारित तिथि को जारी की जायेगी । जिसे वेबसाइट में अवलोकन किया जा सकता है ।
6. आबंटित संस्था में प्रवेश लेने का कार्य :– द्वितीय चरण में आबंटित अभ्यर्थियों को संबंधित संस्था में निर्धारित अवधि में प्रवेश लेना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि में प्रवेश नहीं लेने पर आबंटन स्वमेव निरस्त माना जायेगा। जो अभ्यर्थी पूर्व में कही प्रवेश ले चुके थे, उन्हें तात्कालिक रूप से स्थानांतरण प्रमाण पत्र के बिना भी प्रवेश लेने की अनुमति है । परंतु बाद में स्थानांतरण प्रमाण पत्र जमा करना होगा । निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात रिक्त रह गई सीटों को सी.जी कोटा में परिवर्तित कर दिया जायेगा।
7. दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों की सूची निम्नानुसार हैः–

स. क्र.	दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों का नाम एवं पता	दूरभाष क्रमांक	स. क्र.	दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों का नाम एवं पता	दूरभाष क्रमांक
1	संचालनालय तकनीकी शिक्षा, बायरन बाजार, रायपुर	0771–2421376	3	शास. इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर, कोनी,, बिलासपुर	07752–260289
2	शास.पॉलीटेकनिक, मनेन्द्रगढ़ नाका अंबिकापुर	07774–220609	4	शासकीय पॉलीटेकनिक, रायगढ़, चक्रधर नगर, रायगढ़	07762–222737

8. दस्तावेज परीक्षण के समय प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण–पत्रो की सूची :
   अ) आवेदन फार्म की प्रिंट आउट
   ब) रू. 500/– की चालान की प्रति
   स) 10वीं की अंकसूची
   द) 12वीं की अंकसूची
   इ) AIEEE- 2011 की अंक सूची
   ई) संबंधित अन्य राज्य का मूल निवास प्रमाण–पत्र
9. चूंकि प्रथम चरण की प्रवेश की अंतिम तिथि 23 जुलाई 2011 है एवं हो सकता है कि प्रथम चरण की कुछ आंबटित सीट रिक्त रह जायें। अतः द्वितीय चरण समस्त विकल्प जो प्रथम चरण में थे खुले रखे गये है। परंतु विकल्प उपलब्ध होने/भरने मात्र से सीट का आबंटन होने का अधिकार नहीं हो जाता । सीट का आबंटन सीट की उपलब्धतता एवं मेरिट के आधार पर होगा।
10. शेष नियम पूर्व पूर्वानुसार ही रहेंगे विस्तृत जानकारी के लिए प्रथम चरण का विज्ञापन वेबसाइट www.mkcl.biz/aieee2011 में उपलब्ध है।

अतिरिक्त संचालक
तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़